न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/261
दायरा तिथि : 08.07.2022
आदेश तिथि : 05/11/2024
प्रार्थी :–

1. केसाराम पुत्र रघुनाथ
2. कानाराम पुत्र रघुनाथजी
3. मानाराम पुत्र रघुनाथजी
4. धनाराम पुत्र रघुनाथजी
5. हरीराम पुत्र रघुनाथजी
6. संग्रामराम पुत्र रघुनाथजी
7. मांगीलाल पुत्र हराजी
8. राणाराम पुत्र हराजी जाति रेबारी, निवासी आमलिया तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

व ना म

अप्रार्थी :–

1. चतरा पुत्र लक्ष्मणजी
2. रणछोड लाल पुत्र वरदाजी
3. रतनलाल पुत्र वरदाजी
4. लाली पत्नी वरदा जाति गरू, निवासी आमलिया तहसील बाली, जिला पाली (राज.)
5. सोहनकंवर पत्नि जोरावरसिंह जाति राजपूत निवासी आमलिया तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बावत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक:

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम आमलिया पटवार हल्का आमलिया तहसील बाली के खसरा नंबर 392/472 रकबा 1.0800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम आमलिया पटवार हल्का आमलिया तहसील बाली के खसरा नंबर 390 रकबा 0.5500 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे आसमानी रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/2876 दिनांक 06.10.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम आमलिया के खसरा नंबर 392/472 रकबा सेवज दोयम की खातेदारी भूमि श्री केसाराम पुत्र रूघनाथराम जाति रेबारी वगैरा निवासी आमलिया तहसील बाली के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतू प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते का विकल्प नहीं है। वर्तमान में आवागमन के लिए खेत खाली होने पर आवागमन करते है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार 02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2022/201
अनवान केसाराम वगैरा बनाम चतरा वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

2. यह है कि रास्ते हेतु ग्राम आमलिया में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	391	0.7100 हैक्टर	चा. दो. जा. दो.	7X52=364 वर्गमीटर	सोहनकंवर पत्नि जोरावरसिंह जाति राजपूत निवासी आमलिया रहिन (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाना

3. यह कि रास्ते में प्रस्तावित खसर नंबर की डी.एल.सी. दर 77,963 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
4. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण, ढाणी या पुराना वृक्ष नहीं है।

प्रकरण मे अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। खसरा नंबर 390के खातेदारान को जारी नोटिस तामील होने पर इनकी ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरसिंह द्वारा अण्डरटेकिंग लिया गया। परंतु इनकी ओर से कोई जवाब/आपत्ति पेश नहीं की गई। खसरा नंबर 391 के खातेदार सोहनकंवर के अधिवक्ता श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा द्वारा प्रार्थीया की कृषि भूमि में से रास्ता नहीं दिये जाने की दलील दी तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता अधिक दूरी का होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम आमलिया पटवार हल्का आमलिया तहसील बाली के खसरा नंबर 392/472 रकबा 1.0800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2876 दिनांक 06.10.2022 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जबकि आवेदक ने खसरा नंबर 390 व 391 दोनों खसरों में से रास्ते हेतु आवेदन किया था। इसी आशय से सोहनकंवर के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई है। प्रस्तुत मौका फर्द व नक्शा के अवलोकन से ज्ञात है कि खसरा नंबर 390 व 391 दोनों की सीमा आपस में मिलती हुई है। अर्थात एक ही माठ है। तथा आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 392/472 की सीमा खसरा नंबर 390 व 391 से लगती हुई है। ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 390 व 391 दोनों खसरों में से 3.5 मीटर चौडाई का रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम आमलिया पटवार हल्का आमलिया तहसील बाली के खसरा नंबर 392/472 रकबा 1.0800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम आमलिया पटवार हल्का आमलिया तहसील बाली के खसरा नंबर 390 व 391 (के मध्य में से 3.5–3.5 कुल 07 मीटर चौडाई तथा 52 मीटर लंबा) कुल **364 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार/निजि खातेदार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 77,963 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
391	0.7100 हैक्टर	3.5X52=182 वर्गमीटर	8	1456X2=2912	वर्तमान जमाबंदी अनुसार
390	0.5500 हैक्टर	3.5X52=182 वर्गमीटर	8	1456X2=2912	वर्तमान जमाबंदी अनुसार

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार 03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/261
अनवान केसाराम वगैरा बनाम चतरा वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 5824/– (अक्षरे पांच हजार आठ सौ चौबीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2024/ 2257-2261
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः– 06/11/2024

1. तहसीलदार, बाली तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, आमलिया
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री केसाराम पुत्र रघुनाथ जाति रेबारी निवासी आमलिया तहसील बाली, जिला पाली (राज.) वगैरा को सूचनार्थ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner

मौका फर्द

आज दिनांक 31.8.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब बाली के आदेश/क्रमांक/राजस्व/2022/2122 दिनांक 15/7/2022 की पालना मे आवेदक श्री केसाराम पुत्र रघुनाथ वगैरा कौम रबारी निवासी आमलीया के प्रार्थना-पत्र धारा 251 (A) के अनुसार खसरा नं० 392/472 रकबा 1.08 हेक्टर भूमि का मौका देखा गया/ मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त खसरे मे जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नही है अतः नजरी नक्शे मे बताये गये रास्ते के अलावा आवेदक के खसरे मे कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

मौका फर्द तैयार कर उपस्थित व्यक्तियो के हस्ताक्षर करवाये गये

Kesaram

31-8-2022
ILR नाना

प. आमलीया
31/8/2022
दिनांक

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

नजरीय नक्शा ग्राम आमलिया

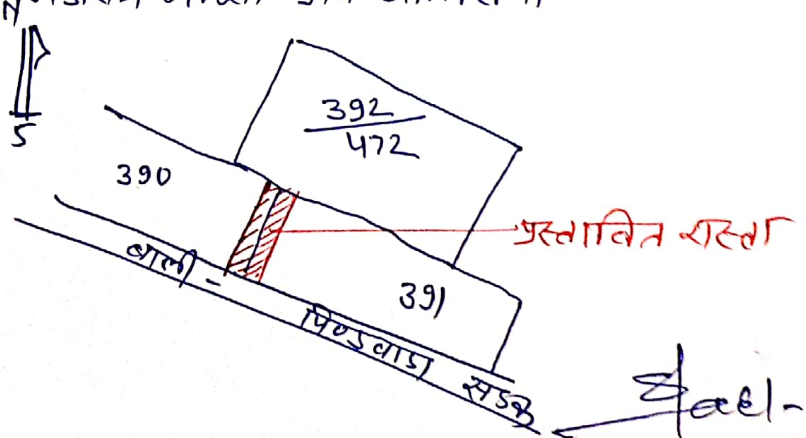

Ex-Court

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

ILR नाना
31-8-2022

Scanned with CamScanner